राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषय :— राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण द्वारा विदेश/राज्य से बाहर एवं राज्य में यात्रा के संबंध में।

मंत्रिमण्डल सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.09.2019 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण द्वारा विदेश/राज्य से बाहर एवं राज्य में यात्रा के संबंध में पूर्व में जारी दिशा—निर्देशों के क्रम में पुनः निर्देश जारी कर माननीय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण के विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव को उक्त दिशा—निर्देशों के संबंध में माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराने तथा आवश्यक रूप से पूर्ण पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि माननीय मंत्रिगण के जयपुर से बाहर यात्रा/दौरे पर होने की सूचना/यात्रा कार्यक्रम मंत्रिमण्डल सचिवालय को नहीं भेजा जाता है, जिससे विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले परिचालन के माध्यम से मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने वाले एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण प्रकृति के मामले, जिनमें तत्काल निर्णय हेतु माननीय मंत्रिगण का अभिमत अपेक्षित होने पर उनसे सम्पर्क नहीं हो पाता है।

साथ ही यात्रा कार्यक्रम जारी नहीं होने के कारण जिला स्तर पर माननीय मंत्रिगण की सुरक्षा व्यवस्था एवं जिला स्तरीय अधिकारियों से समन्वय में भी कठिनाई उत्पन्न होती है व अनावश्यक विलम्ब भी होता है।

अतः माननीय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण के विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव को निर्देशित किया जाता है कि माननीय मंत्रिगण के यात्रा/दौरे पर होने की सूचना/यात्रा कार्यक्रम मंत्रिमण्डल सचिवालय को व्यक्तिशः एवं ई—मेल (srdscabinet@gmail.com) पर नियमित रुप से प्रातः 11.00 बजे तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा स्थिति में संबंधित विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव जिम्मेदार होंगे।

ह०
(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव
मा0 उप मुख्यमंत्री/ मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण

अशा0टीप0 क्रमांक प. 12(1)मं.मं./2002
जयपुर दिनांक :— 29/11/19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री ।
2. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री ।
3. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेल, सामान्य प्रशासन विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

29/11/2019
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव